न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 179/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. डुंगराराम पुत्र शेराराम उम्र 61 वर्ष
2 नोजीदेवी पत्नि शेराराम उम्र 82 वर्ष जातियान राईका निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रूपाराम पुत्र धनाराम उम्र 80 वर्ष
2 जोराराम पुत्र धनाराम उम्र 60 वर्ष
3. ईसराराम पुत्र हरखाराम उम्र 30 वर्ष
4. बांकाराम पुत्र हरखाराम उम्र 32 वर्ष
5. पारूदेवी पत्नि हरखाराम उम्र 70 वर्ष
6. वगताराम पुत्र जोधाराम उम्र 75 वर्ष
7. कानाराम पुत्र जोधाराम उम्र 65 वर्ष
8. अणसीदेवी पत्नि कासबाराम 80 वर्ष
9. पेमाराम पुत्र जोधाराम उम्र 60 वर्ष
10. नरसिंगाराम पुत्र सांवलाराम
11. गुनेशाराम पुत्र सांवलाराम उम्र 43 वर्ष
12. मोतीराम पुत्र सांवलाराम उम्र 39 वर्ष
13. धुड़ीदेवी पत्नि सांवलाराम उम्र 65 वर्ष
14. पदमाराम पुत्र वालाराम उम्र 70 वर्ष
15. मगाराम पुत्र वालाराम उम्र 60 वर्ष
16. पांचाराम पुत्र कासबाराम उम्र 40 वर्ष
17. थानाराम पुत्र कासबाराम उम्र 35 वर्ष
18. तगाराम पुत्र भारमलराम उम्र 70 वर्ष
19. जैमताराम पुत्र आसुराम उम्र 75 वर्ष
20. लीलादेवी पत्नि मंगलाराम उम्र 60 वर्ष
21. छौगाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 30 वर्ष
22 बाबूराम पुत्र मंगलाराम उम्र 28 वर्ष
23. [illegible]राम पुत्र चिमनाराम उम्र 70 वर्ष
24. [illegible] पुत्र [illegible]नाराम उम्र 60 वर्ष
25. [illegible]राम पुत्र [illegible]नाराम उम्र [illegible] वर्ष
26. [illegible]णसीदेवी पत्नि मानाराम [illegible] वर्ष
27. शिवजीराम पुत्र पूंजाराम उम्र 70 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

28. जोगाराम पुत्र पूंजाराम उम्र 65 वर्ष जातियान राईका (देवासी) निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

29. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विशनोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 29.01.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा धने की ढाणी, पटवार क्षेत्र कमठाई, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 742/564 रकबा 3.6163 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा धने की ढाणी, पटवार क्षेत्र कमठाई, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 742/564 रकबा 3.6163 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं [illegible] उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:04 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा धने की ढाणी, पटवार क्षेत्र कमठाई, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 742/564 रकबा 3.6163 हैक्टेयर भूमि आई हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा धने की ढाणी, पटवार क्षेत्र कमठाई, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 742/564 रकबा 3.6163 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा धने की ढाणी, पटवार क्षेत्र कमठाई, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 742/564 रकबा 3.6163 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा धने की ढाणी, पटवार क्षेत्र कमठाई, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 742/564 रकबा 3.6163 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner